



RAJASTHAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER)
DURGAPURA, JAIPUR



Dr. Sunita Gupta
Director

Phone: 0141-2550229 (O)
Fax: 0141-2550229 & 2550536
Email : director.rari@sknau.ac.in

No.F. 9 () / SKNAU/DIR-RARI /Accts/2024/ 2604

Dated: 8-11-24


खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र के फार्म पर हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित आपूर्ति हेतु GST/लाईसेन्स धारक फर्म/एजेन्सी से दिनांक 21.11.2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है एवं निविदाएं दिनांक 21.11.2024 को श्रीमान निदेशक, राज कृषि अनु. संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर कार्यालय में दोपहर 12.00 बजे खोली जावेगी। निविदा फार्म रु 500 + 18 प्रतिशत GST जमा कर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नियम व शर्तें फार्म के साथ रहेंगे। निविदा को www.sknau.ac.in, व sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

1
निदेशक

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. श्रीमान श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. श्रीमान् वित्तनियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिनांक 21.11.2024 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. सीमका ईंचार्ज श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय, की बेबसाइट एव SPPP Portal पर अपलोड करने का श्रम करावें।
5. सूचना पट्ट, कार्यालय
6. आरक्षित प्रति


निदेशक

(लिफाफा नं. 1 में रखें)

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान,
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
दुर्गापुरा, जयपुर

हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित आपूर्ति
तकनीकी निविदा प्रपत्र

खुली निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 21/11/2024
अनुमानित लागत रु 6 लाख रुपये

समय : दोपहर 2:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क 500 + 18 % GST बजट हैड: - RKVY-36
वित्तीय वर्ष:- 2024-25

- निविदादाता का नाम व पता मय दूरभाष :-
1. निविदा प्रतिभूति राशि डी.डी.सं./ बैंकर्स चैक सं..... दिनांक राशि
 2. किसको संबोधित किया गया- निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर निविदा सूचना क्रमांक /
 3. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
 4. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि बैंक चैक/ डिमाण्ड ड्रॉपट द्वारा रुपये कुल धरोहर राशि 12000/- रुपये निविदा फार्म के साथ कार्यालय में जमा करानी होगी।
 5. हम निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना में वर्णित शर्तों से तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में दी गई उक्त सीमित निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठ/पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)।
 6. निविदा दाता के पास केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बोली प्रपत्र के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा बिक्रकर प्रमाण पत्र तथा बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
 7. सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं, यदि लागू हो।
 8. निविदादाता पंजीकृत व्यवसायिक हो।
 9. विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि को घोशणा पत्र 'ब' संलग्न है।
 10. सीमित बोली फार्म के साथ गत तीन वर्षों में ब्लेक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र 'स' संलग्न है।
 11. सीमित बोली फार्म के साथ टैक्स प्रमाण प्रपत्र 'द' संलग्न है।
 12. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
 13. निविदा सील लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
 14. बिल का भुगतान हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित की संतोशजनक रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात कोष कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद किया जावेगा।
 15. निविदाएं दिनांक 21/11/2024 को श्रीमान निदेशक, राज. कृषि अनु. संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर कार्यालय में दोपहर 2.00 बजे खोली जावेगी।
 16. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जयपुर रहेगा।
 17. धरोहर राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
 - 18- Sale tax clearance/sale tax registration certificate
 - 19- Audited balance sheets for last three years turn over minimum 6.0 Lakh per annum
 - 20- Experience for supply and commissioning of Drip Automation
 - 21- Experience for technical know how for maintenance and operation of automation units
 - 22- Earnest money deposit (2%)
 - 23- Registration of GST(Photo Copy)
 - 24- PAN No.(Photo Copy)
 - 25- Experience of two year in Rajasthan Govt. Department
 26. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।
 27. अपलोड निविदा फार्म भरनेपर निविदा फार्म का शुल्क रु. 500+ 18 % GST का डीडी/बी.सी पृथक से संलग्न करें।




निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित हेतु खुली निविदा प्रारूप व अन्य शर्तें :-

खुली निविदासूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी। हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा ;जयपुर पर करनी होगी।

1. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित हेतु बोलीदाता अपनी बोली दर्शाए। राजस्थान कृषि अनुसंधान केन्द्र के प्रपत्र के प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
2. बोली मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। जिस पर हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित के कय के लिए खुली निविदा अंकित होना चाहिए।
3. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान राजस्थान कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा फर्म को आदेशित हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित के संतोशप्रद होने की पुष्टि संबंधित कार्यालय कमेटी द्वारा प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
4. बोली दाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य/आपूर्ति संतोशप्रद रूप से पूर्ण होने पर एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने क बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
5. निविदा दाता प्रपत्र की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा बोली प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण को स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
6. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की काट छांट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। काट छांट/ओवर राईटिंग होने पर बोली रद्द की जा सकेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार श्रीमान निदेशक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर होगा।
8. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि वसूल की जा सकेगी।
9. कार्यादेश/क्रयादेश के अनुसार हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित की आपूर्ति का कार्य में स्थापना 15 दिवस में करना होगा।
10. सफल सीमित निविदा दाता के रूप से हाइटेक इरिगेशन सिस्टम स्थापित की आपूर्ति करने में असफल रहने अथवा कार्य संतोशजनक नहीं करने पर श्रीमान निदेशक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पैनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य क्रय अन्य फर्म से कराकर सकेंगे।
11. खुली निविदा प्रपत्र दिनांक 21.11.2024 को 12.00 बजे तक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा के कार्यालय में प्राप्त किये जाकर स्वीकार किये जायेंगे एवं दिनांक 21.11.2024 को दोपहर 12.00 बजे उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। निर्धारित दिनांक व समय पश्चात सीमित बोली प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**—बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सार भूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्—
 - (क) इकाई मूल्य और कुलमूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति होती इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कृष्टित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।
 - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटिरह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।
 - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित नहो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
13. **सत्य निष्ठा संहिता**—उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति—
 - (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एव जमें किसी रिश्तत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
 - (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्य पदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता होया गुमराह कर नैका प्रयास करता हो।
 - (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभि संधि, बोली में कूट मूल्यवृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
 - (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभप्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
 - (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष कारको या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप सक्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
 - (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
 - (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
 - (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवरजन को प्रकट करेगा।
14. **हितका विरोध**—
 - (1) किसी उपापन संस्थाया उस के कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लएहित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिस में एक पक्ष कारके ऐसे हित होंजो उसपक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागतबाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचितरूप से प्रभावित कर सकता हो।
 - (2) उन स्थितियों में जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है—



- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजीहित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचितपालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजीहित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्षन हीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्षलेता है, सहित किसी तृतीय पक्ष कारको उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला कि सी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्ष कारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदा कारको एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषय वस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भागलिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषय वस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्षया अप्रत्यक्षरूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक क रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

15. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण—प्रथम अपील प्राधिकारी, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:-

- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथा स्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र -व) में अपील दाखिल कर सकेगा।
- परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।
- परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अधधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
- (4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
- (5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।
- परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।



- (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।
- (8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।
- (9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।
- (10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।
16. अपील का प्रारूप—(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - 'व') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जासकेगी।
17. अपील फाइल करने के लिए फीस—(1) प्रथम अपील के लिए फीस दोह जार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रति देय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांग देय ड्राफ्ट या बैंक रचैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
18. अपील के निपटारे की प्रक्रिया—(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निशुल्क उपलब्ध करेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भीदर्शित किया जायेगा।
17. बोली दाता को यह लिखकर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्त राशि संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जायेगी। इसके लिए PRICE FALL CLAUSE प्रमाण पत्र 'द' संलग्न करना होगा।
18. उपर्युक्त भातों के अतिरिक्त अन्य भातें निविदा एवं सामान्य वित्त एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता, अधिनियम, 2012, एवं अधिनियम 2013 एवं वित्तीय विभाग, राजस्थान सूचना की दिनांक 19.11.2015 के प्रावधान अनुसार लागू होगी।
19. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर राजस्थान होगा।



निदेशक
राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान,
दुर्गापुरा, जयपुर

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

हाइटेक इरिगेशन सिस्टम की स्थापना हेतु आइटम का स्पेशिफिकेशन

Table 1

Technical Specifications of Goods viz., establishment of high-tech irrigation system and general terms and conditions for suppliers.

Technical Specification of Item		
Supply and Installation of Drip irrigation system in 3 hectare with required material -		
1.	Lateral 16mm plain	1500 m
2.	Lateral 16mm Inline	6000 m
3.	Start Nipple 16mm	200 nos
4.	Rubber Grommate	200 nos
5.	Nipple 16mm	200 nos
6.	Endcap 16mm	200 nos
7.	Dripper 8LPH	600 nos
8.	Micro tube 4mm	100 m
9.	Sand Filter 2"	1 nos
10.	Disc Filter 2"	1 nos
11.	Header 2"	1 nos
12.	Ventury ¾"	1 nos
13.	Pressure gauge	2 nos
14.	Air Release valve 1"	1 nos
15.	Flush Valve 63mm	10 nos
16.	PP Ball Valve 2" plain	15 nos
17.	PP Ball Valve 2" plain	690 m
18.	PVC pipe 63mm/4kgf/cm ²	120 nos
19.	PVC Elbow 63mm	25 nos
20.	Solvent Cement	5 ltr.
21.	Plastic triple layer Water storage tank -10000 ltr capacity with	1 unit
22.	required fitting and PCC based platform	(3 hectare)
23.	Mono black pump – 2/3 hp with required fitting	
24.	Labour and transportation charges (Trench digging and back filling for PVC pipe and installation of filter and lateral)	

Terms and Conditions :

1. Free delivery and installation.
 2. Complete demonstration and training for operation.
 3. The supplier should enclose the technical compliance statement against our technical specifications clearly mentioning for each point. The statement should be supported by relevant literature.
 4. The company should mention the make & model name/number of the quoted equipment and submit the technical brochure of the quoted model in the technical bid along with compliance sheet as per technical specifications.
 5. Bidders are local Service provider at RARI, Durgapura Jaipur.
 6. Bidders are requested to send with bid, printed descriptive literature of the quoted items.
 7. Installation of equipment should be at RARI Durgapura free of cost.
 8. For all items, the supplier will have to install and fitting of item and give maintenance service on call for 3 years, if required.
 9. All equipments FOR at RARI, Durhapura Jaipur.
 10. The successful bidder has to demonstrate the working of system at the site of installation.
 11. Delivery period: Within 15 days from the date of issue of this supply order.
 12. Place of delivery: RARI, Durhapura Jaipur.
 13. Payment shall be made within 30 days after delivery, installation and training, if any, of the goods in satisfactory condition.
 14. The equipment shall be supplied, installed as per the specifications agreed having (ISI) by you and again being enclosed in schedule
of rates Packaging and forwarding, Excise duty, Sales tax, GST, Entry tax, if any, transportation including insurance and installation charges are inclusive in the approved FOR rates.
- Credibility:** Similar installation of this kind should have been made by company in recognized research institute/ University in Rajasthan and provide the user's list for the same.
- Warranty:** Instruments should be quoted with two years warranty and should quote AMC offer, thereafter as mentioned in the financial BID.

***General features:**

If Bidder supplied to or have rate contract of quoted items with any other Govt. institutions within one year, he may be asked to provide copies of purchase he financial BID.

Signature of Bidder


DIRECTOR
RARI, DURGAPURA, JAIPUR

वित्तीय निविदा
(पृथक लिफाफे में रखें)

प्रपत्र 'अ-एच'

Financial Bid for Tender
Financial bid of goods viz., Agriculture Equipments & Instruments items

Sr. No.	Item	Price Per Unit	GST& other taxes, if any	Total Cost Including GST
1	2	3	4	5
1.	Head unit/ Filtration system			
2.	PVC Net work			
3	Drip Network for one ha. Area			
4	Minisprinkler Network for two ha. Area			
5	Over Sprinkler Set (78 pipe and 50 nozel set)			

Date:

Signature
Name in Cappital Company/ Firm Seal

Note:-

- 1- The rate quoted should be inclusive of excise duty but exclusive of sale tax / GST .
- 2- Rate should be quoted on separate sheets for each item.
- 3- Rate should be quoted only for packing units as mentioned in the Bid.
- 4- No quality or cash discounts should be offered.
- 5- Read all the terms & conditions before filling.
- 6- Please quote rates in absolute amount only.
- 7- After warranty period mentioned in technical specification, the annual maintenance contract must be quoted (AMC) in % of Total rate.

Signature

Name of Firm Seal

प्रपत्र - 'ब'

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (Forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र - 'स'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के आइटम की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र - 'द'

Price Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के सैट की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को विभिन्न प्रकार के सैट की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गौनेड़ा से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'य'

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of `50/-)

I.....S/o.....Aged...
..... yrs, residing at Proprietor/Partner/Director of M/s

..... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement
of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries
Center.....The acknowledgment No. is

Dated and has been issued for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not
been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly
manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to
manufacture the above noted items.

**Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date**

Verification

I..... S/oAged yrs residing at
..... Proprietor / Partner/ Director of M/s Verify and confirm
that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and
nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent